

न्यायालय जति - जिला अलवर (प्रथम)

रीस हुकम

इतिहास - हेल्थी केस एलार्ड

पुर्व 14/12/2021

वैम या कार्यवाही मय इनिशियल जब 20/1/30

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

6/4/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी वकील श्रीमती
उपस्थित रही है, उन्ही हेतु में श्री फकर पांडे एड
वा प्रतिनिधित्व पर पेशे किया है। श्री श्रीमती फिलिप
रेस्पोडेंट व वकील उपस्थित पर पेशे कराने के लिये
पहुंच जाण्ड रापकाला, सुधीला के जाण्ड पर एड
हुनी जमी परावली जाणे कहेके दिनांक 12/4/2022 को
पेशे

३

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

15/4/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी हाथ कराने के लिये परावली
वा कलक्टर वकील का लया परावली पेशे कराने के लिये
26/4/2022 को पेशे

३

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

26/4/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी 10 महीना का
ल्यानट्टया हो युवा वी परावली श्रीमती के लिये दिनांक
21/5/2022 को पेशे

4/5/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी 10 महीना का
का ल्यानट्टया हो युवा वी परावली श्रीमती के लिये दिनांक
25/5/2022 को पेशे है

25/5/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी 73 महीना
उपस्थित वी पेशे कराने काय राजीनामा के लिये
जाण्ड पर पेशे किया वी परावली जाणे जेठ दिनांक
26/5/2022 को पेशे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

26/5/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी वबुला उपस्थित
व 10 महीना का ल्यानट्टया हो युवा वी परावली श्रीमती के
लिये दिनांक 15/6/2022 को पेशे

Ramesh Chandra
Yadav H.O.

15/6/2022

आज दिनांक परावली पेशे डी वउलाय
उपस्थित है। वकील श्रीमती 1. रेस्पोडेंट व
वकील द्वारा उपस्थित पर दिनांक 15/5/2022

Yadav
H.O.

पेशे के लिये जाणे पर के साथ पेशे कराने

Mahamedun

के मध्य ह्ये पारिवारिक वधारा दिनांक २७/५/२०२२
जो दिनांक ६/५/२०२२ को पब्लिक नोटेरी से तस्वीक
कराया जावत पेश किया है। साथ ही अंकित किया
है, कि तहसीलदार कागसूर द्वारा पारित विभाजन
आदेश दिनांक ३०/१/२०२० से वर्णित ससरा
नम्बरान ७३४/५५५ व ७३५/५५४ की वसत
विभाज आदेश की दफायेज पारिवारिक वधारा
दिनांक २३/५/२०२२ को पब्लिक नोटेरी से दिनांक
६/५/२०२२ से तस्वीक किया है। अनुयाय संशोधक
कर बाकी ससरा नम्बरान की वसत पारित
विभाजन आदेश दिनांक ३०/१/२०२० को यथावत
रखते हुये अपील का निर्णय किये जाने हेतु पेश
किया गया है।

अतः पत्रकारान के मध्य ह्ये पारिवारिक वधारा
दिनांक २७/५/२०२२ जो पब्लिक नोटेरी द्वारा दिनांक
६/५/२०२२ को तस्वीक किया है, को तस्वीक किया
जाता है। अनुयाय रापीनामा भी पति। आदेशिका की
पतागित प्रति तहत अदालत की अप रिपोर्ट के
निपवासी जावत निदेशित किया जाता है, कि मुलाकिक
रापीनामा के अनुयाय रापाय रिमाई से दर्ज हिसा
के अनुयाय पुन विभाजन से कारिकाही निपवायुका
वही पवायनी पेशान गुमाट से नम्बर से कथ की
जावत का तस्वीक दाखिल पता रिपोर्ट निर्णय
रहुते निपवायय से पुनाया गया।

अलकट (सजा०)